भारत सरकार

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

भूमि और विकास कार्यालय

निर्माण भवन : नई दिल्ली

सं. 7/4/69-सीडीएन दिनांकः 1-2-88

कार्यालय आदेश सं. 1/88

विषयः- वसीयत के आधार पर उस व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का प्रतिस्थापन जो परिवार का सदस्य नहीं है।

....

क्या किसी वसीयत के लाभार्थी, जो वसीयतकर्ता का वैध उत्तराधिकारी नहीं है, के पक्ष में संपत्ति के प्रतिस्थापन को 'अंतरण' मानने की वर्तमान परिपाटी को उसके द्वारा वैध उत्तराधिकारियों से सभी शपथपत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज दायर करने के बाद जारी रखा जाना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न पर एएलए के साथ परामर्श के बाद पुनः विचार किया गया है। उसके विचारों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि मौजूदा परिपाटी को जारी रखा जाए। तदनुसार ऐसे मामलों में प्रतिस्थापन अनुपार्जित वृद्धि की रिकवरी के साथ किया जा सकता है।

(ओ.पी. भाटिया)
उप भूमि और विकास अधिकारी

सभी अधिकारी/अनुभाग।